

## 1. भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ( भा0 अ0 ज0 प्रा0 ) का गठन 27 अक्टूबर, 1986 को नौवहन और नौचालन हेतु अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियम के लिए हुआ, देखें भा0 अ0 ज0 प्रा0 अधिनियम, 1985 (1985 का 82)। प्राधिकरण राष्ट्रीय जलमार्गों पर अवसंरचनात्मक विकास और अनुरक्षण संबंधी कार्य करता है। यह संभाव्यता अध्ययन भी कराता है और अन्य जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषणा कराने के लिए प्रस्ताव तैयार करता है। यह अ0 ज0 प0 से संबंधित मामलों पर केन्द्र सरकार को परामर्श भी देता है और अ0 ज0 प0 क्षेत्र के विकास में राज्यों को मदद करता है।

## 2. अन्तर्देशीय जल परिवहन ( अ0 ज0 प0 ) क्षेत्र – सामान्य सूचना

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक दक्ष परिवहन साधन काफी महत्वपूर्ण होता है। भारत जैसे विशाल देश में दक्ष परिवहन व्यापार के प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण को गति देने के लिए महत्वपूर्ण होता है। भारत की परिवहन प्रणाली रेलवे, राजमार्ग, अन्तर्देशीय जलमार्ग, तटीय नौवहन और वायुमार्ग जैसे विभिन्न साधनों से मिलकर बनी है। देश की उदार अर्थव्यवस्था में जब निजी क्षेत्र से जी0 डी0 पी0 में अधिक से अधिक सहयोग करने की अपेक्षा की जाती है तब यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार पर्याप्त उपाय करके इन भिन्न-भिन्न तरह के परिवहन साधनों को अधिक से अधिक उपलब्ध कराए।

अन्तर्देशीय जल परिवहन ( अ0 ज0 प0 ) एक ईंधन की कम खपत करने वाला, पर्यानुकूल और सस्ता परिवहन साधन है जिसमें सड़क और रेल पर पड़ने वाले भीड़-भाड़ को कम करने के लिए पूरक के रूप में काम करने की संभाव्यता है। इसके लिए हालांकि यह आवश्यक है कि अ0 ज0 प0 साधन को सार्वजनिक निधिकरण द्वारा कम से कम उस स्तर तक विकसित करना चाहिए जहाँ से निजी क्षेत्र अवसंरचना के विकास के लिए भी आगे आ सके। भारत के पास नदियों, नहरों, संकरी खाड़ियों इत्यादि का करीब 14,500 कि0मी0 विशाल जाल है, जिसमें से 5700 कि0मी0 यांत्रिक जलयानों द्वारा नौचालन योग्य है।

19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी के प्रथम अर्द्ध भाग में शक्तिचालित यानों और देशी नौकाओं द्वारा परिवहन और नौचालन के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में अ0 ज0 प0 ने विभिन्न नदियों और कैनलों होकर वाणिज्य और व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। रेलमार्ग के उदय और इसके जालों के विस्तार से भारत में जल परिवहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वर्षों से अ0 ज0 प0 क्षेत्र के अपर्याप्त विकास होने के साथ-साथ सड़कों की द्रुत गति से विकास ने अ0 ज0 प0 क्षेत्र को निर्णायक शिकस्त दिया है और 20वीं शताब्दी के बाद के वर्षों में असम, गोवा, केरल, मुम्बई, पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य तटीय क्षेत्रों ( जहाँ इसको प्राकृतिक लाभ प्राप्त है और किसी विकास संबंधी कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी ) जैसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, अ0 ज0 प0 क्षेत्र को सीमान्त स्तर पर पहुँचा दिया गया था।

हालांकि, इसके अन्तर्निहित फायदों को देखते हुए इस क्षेत्र के क्रमिक विकास की आवश्यकता हमेशा महसूस की गई जो कि इस तथ्य से साबित होता है कि स्वतंत्रता के दिनों से समय-समय पर देश के विभिन्न समितियों ने देश के अ0 ज0 प0 प्रणाली का समय-समय पर अध्ययन करके इस साधन के क्रमिक विकास की वकालत की। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने अपनी रिपोर्ट ( 1980 ) में तदनुसार अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन हेतु एक प्राधिकरण की स्थापना करने की सिफारिश की, जिससे भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ( भा0 अ0 ज0 प्रा0 ) का 1986 में गठन हुआ।

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार केवल उन जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया है जो केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है जबकि बाकी जलमार्ग संबंधित राज्य सरकार के ही अधिकार क्षेत्र में रहता है। इसलिए, किसी खास जलमार्ग के विकास और विनियमन के लिए केन्द्र सरकार / भा0 अ0 ज0 प्रा0 द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप की दिशा में प्रथम चरण उसे राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषणा करना है।

भा0 अ0 ज0 प्रा0 के गठन के समय से लेकर अब तक पाँच राष्ट्रीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषणा किया जा चुका है और कुछ अन्य जलमार्ग प्रणालियों को राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषणा करने की तैयारी की जा रही है। भा0 अ0 ज0 प्रा0 राष्ट्रीय जलमार्गों पर फेयरवे, टर्मिनलें और नौचालन संबंधी सहायताएं जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाएं मुहैया और अनुरक्षित करता है। प्रदर्शनात्मक जलयानों के लिए रा0 ज0 -1 ( गंगा ) पर यह कार्गो जलयान भी चलाता है। प्रथम तीन राष्ट्रीय जलमार्गों को पूरी तरह कार्यकारी बनाने के लिए भा0 अ0 ज0 प्रा0 ने एक कार्य योजना तैयार किया है जो कि कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है और जिसका 2010 तक पूरा होने का लक्ष्य है।

विगत के कुछ वर्षों में अ0 ज0 प0 साधन द्वारा संगठित क्षेत्र में कार्गो की टुलाई का रुझान काफी बढ़ा है और यह वर्ष 2003-04 में हुए 1.63 बिलियन टन कि0मी0 (बीटीकेएम) से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 3.38 बीटीकेएम हो गया है। किन्तु यह अभी भी कुल परिवहन नेटवर्क का बहुत थोड़ा हिस्सा है। कुल अन्तर्देशीय कार्गो टुलाई की टन कि0मी0 के शब्दों में ( करीब 1000 बिलियन टन कि0मी0 के कुल अन्तर्देशीय कार्गो में से ) इसका हिस्सा केवल 0.34 प्रतिशत के लगभग ही है। अ0 ज0 प0 के मॉडल शेयर को वर्ष 2025 तक 20 बिलियन टन कि0मी0 तक बढ़ाने का लक्ष्य है।